26

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अलीगढ़

पत्रांक–2013 / अली0 / 116 / वे0दे0 / 19 दिनांकः – 9-07-2013

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
अलीगढ़।

विषयः खसरा संख्या–30 ग्राम दौलताबाद 04–06 कि0मी0 स्टोन अलीगढ़ मथुरा रोड़, तहसील कोल जनपद अलीगढ़ पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट पम्प स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्र संख्या 804 / जि0पू0आ0–एनओसी / 13 दिनांक 04–07–2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या–30 ग्राम दौलताबाद 04–06 कि0मी0 स्टोन अलीगढ मथुरा रोड़ तहसील कोल जनपद अलीगढ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त के प्रस्तावित स्थल का श्री संजय कुमार जायसवाल,अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी,अलीगढ़ द्वारा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि कोण निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक 07–07–2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थल चौडे मार्ग पर स्थित है जहाँ पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है। प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है तथा प्रस्तुत मानचित्रों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण एवं विश्लेषण कर प्रस्तावित स्थल पर नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति आख्या प्रस्तुत की गयी है स्थल पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

1. स्थल सड़क के मध्य से 18.30 मी0 से अधिक दूरी पर प्रस्तावित है।
2. परिसर के चारो तरफ 1.20 मी0 ऊँची ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
3. 3 मी0 चौड़ी व 12.66 मी0 लम्बी बफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रवेश / निकास मार्ग के मध्य प्रस्तावित है।
4. परिसर में प्रवेश / निकास हेतु 11.50 मी0 चौड़ाई के दो अलग–अलग गेट प्रस्तावित है।

क्रमशः पेज 2 / पर

राजीव चन्द्र
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
[illegible] पाकबाड़ा, मुरादाबाद

27

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्नि शमन प्रणाली

1. कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मी0 से कम न हो।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मी0 से कम न हो।
3. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस–2148–1646 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0 / ई0 एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
4. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
5. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
6. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वार्जित है।
7. लारी से टैंक मे तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।
8. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मै स्टैण्ड रखी जायें।
9. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्नि शमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
10. अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये एवं 75 किलोग्राम वजन डी0सी0 पी0 ट्राली एवं 50 ली0 फोम की ट्राली होनी चाहिए।
11. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 1–1 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।
12. डीजल जनरेटर सेट से पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये। और D.G. Sets स्टैक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
13. लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
14. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
15. इमरजेन्सी प्लान O.I.S.D.225 के अनुसार होना चाहिए।
16. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग O.I.S.D.225 के अनुसार होनी चाहिए।
17. आपरेटिन्ग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
18. इमरजेन्सी प्लान के बोर्ड भी लगे होने चाहिए।
19. केबिल्स ग्लेन्डिग के साथ होना चाहिए।
20. इलेक्ट्रिल रूम में Proper Ventilation होना चाहिए।
21. पेट्रोल पम्प पर धूमपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
...स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
... पाकबाड़ा, मुरादाबाद

28

22. फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 101, व मो नं0 9454418482 एवं 9454418483 और जिला कट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

23. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नाकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।

(अ) तेल भरवाने से पहले व्राहन का इंजन बंद कर लें।

(ब) धूमपान न करें।

(स) मोबाइल फोन बंद रखें।

निम्नाकित का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1. मोबाइल फोन बंद रखे। 2. तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें। 3. सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्नि शमन यंत्र रखे हुए है। 4. तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबाये।	1. वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे जब तक वाहन के टैंक सें नोजुल अलग न हो जायें। 2. धूमपान न करें। 3. खुली आग का प्रयोग न करें। 4. लारी से टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं O.I.S.D.225 में उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किया जाने की शर्त के साथ प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जो दो वर्ष तक वैध होगा निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कर अन्तिम/पूर्णतया स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा अन्यथा प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक– मानचित्र प्रमाणित

9/7/13

(मो0 शाकिर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अलीगढ़

प्रतिलिपि– उपनिदेशक, फायर सर्विस, अलीगढ़ परिक्षेत्र,अलीगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

2– अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी,अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राजीव नन्दन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन.एच.0 24 लोधी पाकबाड़ा, मुरादाबाद